इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

Ref. No. IRC/51/2025-26 **June 6, 2025**

The General Manager, Department of Corporate Services, BSE Limited, Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	The Vice President, National Stock Exchange Ltd., Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
BSE SCRIP CODE: 532388	NSE SCRIP CODE: IOB

Dear Sir/ Madam,

Notice of 25th Annual General Meeting of the Bank

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we inform that 25th Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on Wednesday, 2nd July 2025 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM).

Notice of 25th Annual General Meeting is enclosed.

The agenda and other details of 25th AGM are furnished below:

ORDINARY BUSINESS:

1. To discuss, approve and adopt the audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as of 31st March 2025, the Standalone and Consolidated Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

2. To seek shareholders' approval for the appointment of Ms. Neelam Agrawal as Non – Executive Director (Government Nominee Director) of the bank.

3. To seek shareholders' approval for the appointment (re-nomination) of Shri Deepak Sharma as Part Time Non-Official Director of the Bank.

4. To seek shareholders' approval for the appointment (re-nomination) of Shri B. Chandra Reddy as Part Time Non-Official Director of the Bank.

5. To seek shareholders' approval for appointment (re-nomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as Part Time Non-Official Director of the Bank.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, केंन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002
044 – 7172 9791, 2888 9360 | www.iob.in | investor@iobnet.co.in

6. To seek shareholders' approval for appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30.

7. To raise equity share capital up to ₹4,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof during the financial year 2025-2026.

8. To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹10 each within the aggregate issue size of ₹4,000 crores (including share premium, if any) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank for FY 2025-2026, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26.

Cut-off date: 25th June 2025 (for remote e-voting and to participate in the AGM).

Remote e-voting: From 9.00 A.M on 27th June 2025 to 5.00 P.M on 1st July 2025.

Please take the above intimation in your records.

Yours faithfully,

RAM MOHAN K
Digitally signed by RAM MOHAN K
Date: 2025.06.06 19:08:16 +05'30'

(Ram Mohan K)
Compliance Officer

पचीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **बुधवार दिनांक 02 जुलाई 2025 को सुबह 11:00 (आइएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम)** के माध्यम से अपने शेयरधारकों की **पचीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम)** का आयोजन करेगा।

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडआलोन एवं समेकित लाभ और हानि खाता एवं वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखा-परीक्षित स्टैंडआलोन एवं समेकित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए ।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2:

बैंक की गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक) के रूप में सुश्री नीलम अग्रवाल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं 6/2(ii)/2022-बीओ.आई के तहत **सुश्री नीलम अग्रवाल** की नियुक्ति को बैंक के **गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक)** के रूप में तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 3:

श्री दीपक शर्मा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना ईएफ़. सं. 6/ 1(V)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री दीपक शर्मा को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री बी चंद्रा रेड्डी की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना

ईएफ़. सं. 6/ 1(VI)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री बी चंद्रा रेड्डी को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 5:

श्री सुरेश कुमार रूंगटा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना ईएफ़. सं. 6/ 1(VII)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री सुरेश कुमार रूंगटा को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 6:

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(ए) एवं अन्य लागू कानूनों, यदि कोई हों, के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (जिनमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव (पंजीकरण संख्या: एस2017टीएन472300) को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए ₹1,40,000/- प्रति वर्ष (लागू कर सहित) के शुल्क पर बैंक के शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

"**संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड की किसी समिति और/या निदेशक(ओं) और/या बैंक के अधिकारी(यों)/ कर्मचारी(यों) को उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी दस्तावेजों, अनुबंधों, समझौतों, कार्यों और लेखों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चर्चाएँ करने के लिए, जिन्हें पूर्वोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक समझा जाता है, प्रदत्त अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को बैंक के शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / राइट इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में रुपये 4000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक

मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में कुल इशू साइज़ रु. 4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन / अधिकार मामले / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा ।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** अग्रणी प्रबंधकों और/ या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर डेट लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन

विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/ या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की प्रदत्त पूंजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार / आरबीआइ / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** अनिवासी भारतीय/ एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** नए इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के इस संकल्प

द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझने पर शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग सहित लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/ रूपांतरण/ वारंटों के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से अनभिदत्त शेयर/प्रतिभूतियां, को बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तथा कानून द्वारा अनुमेय तरीके से निपटाया जा सकता है तथा बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/निदेशकों अथवा इसके पश्चात गठित निदेशक समिति को इसमें प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करते हेतु उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए , कठिनाई या संदेह जो शेयरों / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने के लिए और निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है जिसके लिए शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अंत और मंशा के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि शेयरधारकों द्वारा पूर्ण विवेक के साथा संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया माना जाएगा।"

कार्यसूची मद संख्या 8:

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के चुकता इक्विटी शेयरों की एक या एक से अधिक किस्तों में, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हों, कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत सृजित करना, प्रदान करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आवंटित करना, जिसे आगे आइओबी-ईएसपीएस 2025-26 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ एलओडीआर (अधिनियमित किसी भी संशोधन या पुन: सहित) के अनुसार किए गए समान लिस्टिंग समझौतों के प्रावधानों और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियमन 4ए और (किसी भी वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संशोधन(नों), संशोधन(नों) या समय-समय पर पुनः अधिनियमित) ("सेबी विनियम"), और जहां भी लागू हो आरबीआई, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन और किसी भी स्तर पर किसी भी प्राधिकरण के किसी भी लागू अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी के अधीन और किसी भी शर्त और संशोधन के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी देते समय ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित या प्रभारित किया जाए

और जिस पर बोर्ड सहमत हो और उसे स्वीकार करे, बोर्ड को इस बात की सहमति दी जाती है कि वह बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इतनी संख्या में चुकता इक्विटी शेयर एक या एक से अधिक किस्तों में, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाता है, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर, इस अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(ओं) ("कर्मचारी") शामिल होंगे, सभी उद्देश्यों के लिए और सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ इस तरह से समतुल्य रैंकिंग कि भारत की केंद्रीय सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 52% से कम नहीं होगी, जिसमें लाभांश का भुगतान भी शामिल है तथा जैसा कि बोर्ड द्वारा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत तय किया जाता है, ऐसी कीमत या कीमतों पर, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से तय कर सकता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम 2021 के विनियम 15 या उसके किसी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप करेगा।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 2025-26 (आइओबी-ईएसपीएस 2025-26)" के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समान लिस्टिंग समझौतों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार आवंटित इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और समय-समय पर "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, परिवर्तन या संशोधन करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि बोर्ड "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" को ऐसे नियमों और शर्तों पर लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और प्रभाव में लाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेक से निर्धारित करना जिसमें मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन या "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" को निलंबित करना, वापस लेना, समाप्त करना या संशोधित करना शामिल है और साथ ही "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के कार्यान्वयन और प्रस्तावित "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का निपटारा करने के लिए अधिकृत किया जाता है, शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे के लिए कि शेयरधारकों को इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को निदेशकों की समिति, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे कि वह सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझे, इसमें उसे प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-हस्ता/-

स्थान: चेन्नै | **(अजय कुमार श्रीवास्तव)**
दिनांक: 06, जून 2025 | **प्रबंध निदेशक व सीईओ**

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों) :

बैठक के कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कोविड -19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर 2024** एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/

11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 8, 2022 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 एवं **सेबी/एचओ/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2024/133 दिनांकित 03 अक्तूबर 2024** के माध्यम से कंपनियों को 30 सितंबर 2025 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं।

बैंक ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में **वार्षिक रिपोर्ट 2024-25** सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ग) **भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस** प्राप्त करने हेतु https://wisdom.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा।

घ) **मताधिकार :**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों** के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **बुधवार, दिनांक 25 जून 2025, जो अंतिम तिथि होगी** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ड़) **दूरस्थ ई- वोटिंग**

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीए (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, परिपत्र सं 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर 2024 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 08, 2022 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआइआर/ 2024/133 दिनांकित 10 अक्तूबर 2024 का संदर्भ लेते हैं । बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है ।** शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए

बुधवार दिनांक 25 जून 2025 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं। बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2025 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और मंगलवार दिनांक 01 जुलाई 2025 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि 25 जून 2025 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/ एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी /इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे **www.cdslindia.com** पर जाएं और लॉग-इन आइकन और माईइजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का डीपी आइडी, 8 अंकों का क्लाइंट आइडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी सृजित करना होगा। पंजीकृत ईमेल आइडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल **https://eservices.nsdl.com** टाइप करें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें । 3. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके **https://www.evoting.nsdl.com/** एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूज़र आइडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूज़र आइडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपाजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में वैयक्तिक होल्डिंग के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति ।

1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए ।
2. "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें
   - सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आइडी,
   - बी. एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आइडी,
   - सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर प्रविष्ट करना चाहिए।
4. इसके बाद प्रदर्शित इमेज़ वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन कर किसी कंपनी के पूर्व ई-वोटिंग में वोट किया है, तब आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है ।
6. यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित का पालन करें:

डीमैट में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा और भौतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए।	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में प्रविष्ट लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास प्रविष्ट नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आइडी / फोलियो नंबर प्रविष्ट करें।

7. इन विवरणों को उचित रूप से भरने करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
8. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे । हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई - वोटिंग का विकल्प चुनते हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
9. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

10. एजीएम 2025 के एजेंडे की ई-वोटिंग के लिए **ईवीएसएन 250602003** पर क्लिक करें।
11. वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। "हाँ" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
12. यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।
13. संकल्प पर चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर, "सबमिट" पर क्लिक करना है । एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।
14. एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" करने के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. आप मतदान पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
16. यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आइडी और इमेज़ वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें।
17. यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** - कृपया ऑनलाइन निवेशक पोर्टल https://wisdom.cameoindia.com/ पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें ।
2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** -कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) सहित अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
3. **वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत हैं::

1. एजीएम/ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग में उपस्थिति रहने का वही अनुदेश है, जो ई-वोटिंग के लिए उल्लेखित है ।
2. ई -वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के पश्चात, जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।
3. शेयरधारको को सुझाव दिया जाता है कि कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से जुड़े ।
4. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान कैमरा की अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य/श्रव्य बाधा का अनुभव हो सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ।
6. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो

संख्या, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर investor@iobnet.co.in पर सूचित कर अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। वक्ता शेयरधारक के पंजीकरण के लिए विंडो **20 जून, 2025 से 26 जून, 2025** तक खुली रखी जाएगी। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर investor@iobnet.co.in पर बताते हुए **26 जून, 2025** से पहले अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का बैंक द्वारा ईमेल द्वारा उचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करावाया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शेयरधारकों को (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने शेयरधारको की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी।
10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
11. एक बार जब कोई सदस्य किसी संकल्प पर वोट डाल देने के पश्चात, उसे सदस्य न परिवर्तन कर सकते हैं या न ही पुनः वोट डाल सकते हैं।
12. यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।
13. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट - केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और स्वयं को "कॉर्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर अंकित हो, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालित उपयोगकर्ता सृजन करें। अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें और खातों के अनुमोदन के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।
- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें सम्बंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर को सत्यापन के बाद संवीक्षक को अनिवार्य रुप से भेजें यदि वह वैयक्तिक टैब पर दिए गए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है तो बैंक को मेल यानी investor@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी rsaevoting@gmail.com को मार्क करें।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com **पर ईमेल भेज सकते हैं** या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013 को कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

एफ) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, शेयरधारकों की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तदनुसार, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

जी) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के पात्र हैं। संस्थागत/ कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासी निकाय संकल्प/ प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजनी होगी, जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करेगी। उक्त संकल्प/प्राधिकरण को वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले यानी शुक्रवार, 27 जून, 2025 को शाम 4:00 बजे (आईएसटी) से पहले जांचकर्ता को उनके पंजीकृत ईमेल पते rsaevoting@gmail.com पर ईमेल द्वारा जिसकी प्रति investor@iobnet.co.in पर भेजना आवश्यक है ।

एच) पता परिवर्तन:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे औपचारिक अनुरोध, यदि कोई हो, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल ,
1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन इंवेस्टर पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी परिवर्तन की सूचना, यदि कोई हो, केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दें।

i) पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 7 मई 2024 के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह प्रावधान करता है कि प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) को कोई लाभांश/ ब्याज, जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करें।

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार पुन: दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को उपर्युक्त सभी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित फॉर्म में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत नीचे उल्लिखित पते पर आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्रमांक	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन 4 से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र
4	फॉर्म आईएसआर -13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म आईएसआर -14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड.
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग, पंचम तल,
1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन इंवेस्टर पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

जे) भौतिक होल्डिंग्स का अमूर्तीकरण :

सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से सूचीबद्ध कंपनियों को भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार करने से रोकने के लि ए सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएंऔर प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके अलावा, संशोधन 2022 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमेट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा । जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/उसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। अगर वे कोई हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। आरटीए द्वारा केवल भौतिक रुप में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे ।

उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर, बैंक के शेयरधारकों, जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर रखते हैं, को एक बार फिर सूचना दी जाती है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करवा लें। शेयरधारक किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से दो डिपॉजिटरी, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी में भी डीमैट खाता खोल सकते हैं।

के) शेयरों के अमूर्तीकरण के लाभ:

शेयर प्रमाणपत्र के खोने और टूट-फूट का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेन-देन लागत आदि।

एल) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान डाले गए वोटों की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटे के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे । पक्ष में या विपक्ष में पड़े कुल वोट की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों के साथ एजीएम के दौरान ई वोटिंग के परिणाम घोषित करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- ह/-

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 06, जून 2025

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं. 2

सुश्री नीलम अग्रवाल की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ संख्या 6/2 (ii) / 2022-बीओ.आई दिनांकित 05 अगस्त , 2024 के माध्यम से सुश्री नीलम अग्रवाल (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे श्री कार्तिकिय मिश्रा के स्थान पर काम करेंगी।

सुश्री नीलम अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। उन्हें 05.08.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री नीलम अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें आयकर विभाग में विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभालने का एक दशक से भी अधिक का व्यापक अनुभव है।

सुश्री नीलम अग्रवाल ने रांची विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय राजस्व सेवा में शामिल होने से पहले, उन्हें झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया था और उन्होंने कुछ वर्षों तक झारखंड राज्य में सेवा की।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

सुश्री नीलम अग्रवाल या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित सामान्य संकल्प की मद संख्या 2 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं. 3

श्री दीपक शर्मा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(वी)/2024-बीओ.आई दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री दीपक शर्मा को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर -सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री दीपक शर्मा को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुन: नामित किया गया है। उनके पास रियल एस्टेट उद्योग में व्यापक अनुभव है। साथ ही उनके पास वित्त, कानूनी और अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अनूठे संयोजन में प्रासंगिक अनुभव है। साथ ही उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी काम किया है।

श्री दीपक शर्मा के पास बी.कॉम, ईपीजीडीआईबी (आईआईएफटी), एलएलबी, एलएलएम (रियल एस्टेट) की योग्यता है।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री दीपक शर्मा या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद 3 संख्या से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 4

श्री बी. चंद्रा रेड्डी की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(vi)/2024-बीओ.I दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री बी. चंद्रा रेड्डी को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री बी. चंद्रा रेड्डी को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुन: नामित किया गया है। उन्हें ऑडिटिंग का व्यापक अनुभव है। इससे पहले वे 2020-2021 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक ऑडिटर थे। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी काम किया है।

वह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फेलो सदस्य हैं और वाणिज्य में मास्टर डिग्री रखते हैं ।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री बी. चन्द्र रेड्डी या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद संख्या 4 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 5

श्री सुरेश कुमार रूंगटा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(vii)/2024-बीओ.I दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री सुरेश कुमार रूंगटा को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार रूंगटा को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में बिहार राज्य में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने बिहार वैट (2005 से) की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं।

उन्होंने बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर नियमित रूप से आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आदि जैसे प्रमुख हिंदी दैनिकों में योगदान दिया है।

उन्होंने वाणिज्य (वित्त) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री सुरेश कुमार रूंगटा या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद संख्या 5 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 6

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-2026 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) ('एलओडीआर') विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन से बोर्ड की अनुशंसा पर की जाएगी।

तदनुसार, बोर्ड ने शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु 1,40,000/- रुपये प्रति वर्ष (व लागू कर) के शुल्क पर वित्त वर्ष 2025-2026 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में समकक्ष समीक्षा प्राप्त फर्म मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स (एसएसए), कंपनी सेक्रेटरीज एक एकीकृत सीएस फर्म है जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और यह कॉर्पोरेट कानूनों और अनुपालनों पर केंद्रित है। फर्म को सचिवीय ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, ईएसओपी ऑडिट, लेबर ऑडिट आदि को संभालने का व्यापक अनुभव है। फर्म के पास 27.11.2024 को जारी किया गया पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 6279/2024 है और यह 30.11.2029 तक वैध है ।

एमएस श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स ने पुष्टि की है कि फर्म पर कोई अयोग्यता नहीं है और वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1ए) के अनुसार बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1बी) के दायरे में आती हैं, जिसे सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पढ़ा जाए ।

बैंक के किसी भी निदेशक और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदारों का, वित्तीय या अन्यथा, वार्षिक आम बैठक की सूचना के उल्लिखित साधारण संकल्प की मद संख्या 06 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं. 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/ अधिकार निर्गम /योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों को तरजीही आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड/ क्यूआईबी या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में 4000 करोड़ रुपये (शेयर प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु ।

1. आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों का पालन करने और एक मजबूत पूंजी आधार रखने के लिए जिससे व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान की जा सके, बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है।
2. भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) दिनांकित 30 जुलाई 2021, आगे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत संशोधित प्रावधान और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार जनहित में किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।
3. इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र संदर्भ सं. एफ.सं. 1/14/2018-पीएम (भाग) दिनांकित 19 जुलाई 2024 के जरिए सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19क में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2026 तक छूट मिलेगी।
4. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 2 मई 2025 को अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सांविधिक / नियामक अनुमोदनों के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है ।
5. तदनुसार, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का

प्रस्ताव रखता है। मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा ।

6. पूर्वोक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम और सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अनुपालन और निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी ।

7. बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ख) (ग) के अनुसार, प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। हालांकि, केंद्र सरकार, हमेशा, बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के बावन प्रतिशत से कम नहीं रखेगी।

8. एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसकी पेशकश करनी है, जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

9. यह संकल्प बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के माध्यम से और/या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / आरबीआइ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मोड पर इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों को बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाता है। इश्यू से प्राप्त राशि बैंक को समय-समय पर आरबीआइ द्वारा निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी।

10. यह संकल्प आईसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित क्वालिफाइड संस्थागत ख़रीदारों के साथ क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है । शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन मांगे बिना, निदेशक मंडल अपने विवेक से बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निधारित तंत्र को अपना सकता है ।

11. सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में एक क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं और "प्रासांगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्स्चेंज पर उद्धृत शेयर को समापन मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जा सकता है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है ।

12. बाजार की मौजूदा स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और अंडरराइटर्स तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

13. जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, जैसा कि मूल्य निर्धारण के ऑफर को बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह समय-समय पर संशोधित यदि लागू हों सेबी आइसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू या आवश्यक हो के अनुसार होगा

14. पूर्वोक्त कारणों से, इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त अधिकार और विवेक देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ।

15. आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

16. इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

17. बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर, इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

18. कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार विशेष संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं, जैसा कि नोटिस के एजेंडा आइटम नंबर 7 में निर्धारित किया गया है।

कार्यसूची मद सं. 8

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) कुल इश्यू साइज़ के भीतर ₹10 के अंकित मूल्य के ऐसे भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों की एक या एक से अधिक किस्तों में, बनाना, देना, जारी करना और आवंटित करना ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हों, जिसे आगे आइओबी-ईएसपीएस 2025-26 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय किए गए कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव करता है:

(i) पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि बैंक के विकास और लाभप्रदता में योगदान देने के लिए बेहतर प्रदर्शन की दिशा में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) बैंक के विकास में निरंतर सहयोग और योगदान के लिए पात्र कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।

(iii) पात्र कर्मचारियों को बैंक में मालिकाना हक प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराकर इक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

यदि आवश्यकता हो तो उक्त प्रस्ताव भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन के अधीन है ।

उपरोक्तानुसार जारी इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

एलओडीआर विनियम के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसी की पेशकश करनी है, जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ व जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमों की अनुसूची के भाग सी में उल्लिखित वर्णितानुसार, निम्नलिखित “आइओबी – ईएसपीएस 2025-26” के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा ।

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक, अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशक समिति (समिति) द्वारा तय किए गए क़ानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन इक्विटी शेयर देने के मंशा रखता है , अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्ताव के समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

बी. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों की संख्या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय की जाएगी और यह बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर होगी, ऐसे स्थायी कर्मचारियों के लिए जो भारत में कार्यरत हों या बाहर, “आइओबी-ईएसपीएस 2025-26” के तहत एक या अधिक किस्तों में होंगे।

सी. आइओबी ईएसपीएस – 2025 – 26 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक गण समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी।

डी. वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

इक्विटी शेयरों को सीधे पेश और आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसलिए इसमें वेस्टिंग की अवधि नहीं होगी।

ई. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18 (1) व 24 (1), जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प / एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा ।

लागू नहीं ।

एफ. विकल्प प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

इक्विटि शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एसईबीई) विनियम के अनुसार बोर्ड या निदेशकों की समिति द्वारा तय किया जाएगा ।

जी. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

बोर्ड/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहेगा, वह विकल्प प्रयोग अवधि होगा। इस विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र कर्मचारियों को ऑफर देना, आवेदन और अंशदान राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होंगे ।

एच. "आइओबी - ईएसपीएस 2025-26" के लिए कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालय अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी जो भारत में कार्यरत हों या बाहर, लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे ।

आइ. प्रति कर्मचारी व समग्रता में जारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या का निर्णय इस प्रयोजन के लिए गठित निदेशकों की समिति द्वारा तय किया जाएगा तथा प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर बैंक की जारी चुकता पूंजी के 1% से अधिक नहीं होने चाहिए ।

जे. योजना के तहत कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूंकि नए शेयरों का "आइओबी ईएसपीएस 2025-26 के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा ।

के. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एड्मिनिस्टर किया जाना है या न्यास के जरिए

आइओबी ईएसपीएस 2025-26 सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एड्मिनिस्टर किया जाएगा ।

एल. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

"आइओबी ईएसपीएस 2025-26" के तहत बैंक नए इक्विटि शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा ।

एम. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि

चूंकि, बैंक द्वारा "आइओबी ईएसपीएस 2025-26" के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने प्रश्न नहीं उठता ।

एन. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

लागू नहीं

ओ. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी' इस अर्थ की विवरणी

बैंक, समय-समय पर लागू होने पर सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप करेगा ।

पी. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी ।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार, विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं होता ।

क्यू. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो

यदि कंपनी याथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को चुनती है तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा। बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा।

आर. लॉक इन अवधि:

आइओबी ईएसपीएस 2025 – 26 के तहत जारी इक्विटि शेयरों को सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।

एस. योजना के अंतर्गत कवर की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों/विकल्पों की पुनर्खरीद, यदि कोई हो, के लिए एस. नियम और शर्तें:

यदि बैंक किसी भी समय योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयरों की पुनर्खरीद करना चाहता है तो यथा समय लागू विधिक प्रावधानों और इसके लिए लागू नियम और शर्तें के अधीन बोर्ड प्रक्रिया निर्धारित करेगा।"

इसलिए बैंक को विशेष संकल्प के जरिये शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुति करता है। बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति हित या सरोकार नहीं है, बिना बैंक में शेयरधारिता की सीमा के, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- ह/ -

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 06, जून 2025

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty Fifth **Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Wednesday, July 02, 2025**, at **11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2025, Standalone and Consolidated Profit and Loss account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

Appointment of Ms. Neelam Agrawal as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of **Ms. Neelam Agrawal** as **Non-Executive Director (Government Nominee Director)** of the Bank under clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Notification eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated August, 05,2024 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 3:

Appointment (Re-nomination) of Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri Deepak Sharma** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(v)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 4:

Appointment (Re-nomination) of Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri B. Chandra Reddy** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(vi)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 5:

Appointment (Re-nomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri Suresh Kumar Rungta** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(vii)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 6:

Appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded for appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries (UIN: S2017TN472300) as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of Five years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30 at a fee of ₹ 1,40,000 /- per annum (plus applicable taxes).

RESOLVED FURTHER THAT approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board to delegate all or any of its powers herein conferred to any Committee of the Board and / or Director(s) and / or officer(s) / employee(s) of the Bank to give effect to the aforesaid resolution and to sign and execute all such documents, contracts, agreements, deeds and writings and to do all such acts, deeds, matters and things as may be deemed necessary, expedient and incidental to give effect to the aforesaid resolution."

AGENDA ITEM NO 7:

To raise equity share capital up to ₹4,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof during the financial year 2025-2026.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) , Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding aggregate issue size of ₹ 4,000 crores (including share premium) as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)

Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“LODR”) the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Paid up Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/ or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up, and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration. “

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities that are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/ hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

AGENDA ITEM NO 8:

To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹ 10 each within the aggregate issue size of ₹4,000 crores (including share premium, if any) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank for FY 2025-2026, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹ 10 each within the overall limit approved by the Board of the Bank of ₹ 4,000 crores (including share premium), in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the Central Government of India shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2025-26 (IOB-ESPS 2025-26)", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "IOB-ESPS 2025-26" on such terms and

conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "IOB-ESPS 2025-26", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "IOB-ESPS 2025-26" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "IOB-ESPS 2025-26" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "IOB-ESPS 2025-26" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and other applicable laws.

On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 06th, June 2025

NOTES

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form the part of the Notice.

b) In view of the situations arising due to Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/ CFD/CMD2/CR/P/ 2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to September 30, 2025 without the physical presence of the shareholders.

In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders of the bank may please note that the Notice and **Annual Report 2024-25** will be made available on the website of the Bank at **www.iob.in**. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evotingindia.com**.

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link **https://wisdom.cameoindia.com** to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970, No shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Wednesday, June 25, 2025 , being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in

the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/CFD/CMD2/ CR/P/ 2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 10, 2024 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Wednesday, June 25, 2025**, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- The remote e-voting period begins on **Friday, June 27, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, July, 01, 2025, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on Wednesday, June 25, 2025, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.**

- Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

- Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09,2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

  Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

  In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

- In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders Holding Securities In Demat Mode With **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website **www.cdslindia.com** and click on login icon & My Easi New (Token) Tab.. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website **www.cdslindia.com** and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on **www.cdslindia.com** home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://eservices.nsdl.com** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at **https://eservices.nsdl.com**. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://www.evoting.nsdl.com/** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on **company name or e-Voting service provider name** and you will be re-directed to **e-Voting service provider website** for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at Toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

- Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

 1) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**.

 2) Click on "Shareholders" module.

 3) Now enter your User ID
 a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

 4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

 5) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

 6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on EVSN 250602003 for exercising e-voting of agenda of AGM 2025.
- On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. **For Physical shareholders -** Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal **https://wisdom.cameoindia.com/**
2. **For Demat shareholders -** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. **For Individual Demat shareholders –** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/ OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include

large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request by mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in. **The window for registration of speaker shareholder will be kept open from June 20, 2025 to June 26, 2025.** The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance not later than **June 26, 2025** mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in These queries will be replied by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 and also as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to **www.evotingindia.com** and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to and **rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** *or contact at toll free no 1800 21 09911.*

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 1800 21 09911.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders are not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/ Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy to investor@iobnet.co.in not less than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e., on or before 4:00 p.m. (IST) on Friday June 27, 2025.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request, if any, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, only to their respective Depository Participant(s).

i) NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities and provides that any dividend/ interest to the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment of dividend/interest, through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

It shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish all the above mentioned details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA below mentioned address:

S. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination 4 Form
4	Form ISR-13	Nomination Form
5	Form ISR-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

j) Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

k) **Benefits of Dematerialization of Shares:**

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

l) **Results of Remote E-Voting & E-Voting During AGM:**

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai **(Ajay Kumar Srivastava)**
Date: 06th, June 2025 **Managing Director & CEO**

EXPLANATORY STATEMENT

AGENDA ITEM NO. 2

Appointment of Ms. Neelam Agrawal as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970, the Central Government, vide Notification eF. No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 05th August, 2024 has nominated Ms. Neelam Agrawal (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Overseas Bank with immediate effect and until further orders, vice Shri Kartikeya Misra.

Ms Neelam Agrawal is an officer of 2008 batch of Indian Revenue Service. She has been appointed as Government of India Nominee Director on the Board of Indian Overseas Bank w.e.f 05.08.2024.

Ms Neelam Agrawal is currently posted as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. She has a wide experience of more than a decade of handling various challenging assignments in the Income Tax Department.

Ms Neelam Agrawal graduated with B.A. (Hons) from Ranchi University. Prior to joining Indian Revenue Service, she was selected for Jharkhand Administrative Service and served in the State of Jharkhand for a couple of years.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Ms Neelam Agrawal or her relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 3

Appointment (Re-nomination) of Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(v)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Deepak Sharma has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further he has relevant Experience in Unique Combination of Finance, Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shri Deepak Sharma is having qualification of B. Com, EPGDIB (IIFT), LLB, LLM (Real Estate).

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Deepak Sharma or his

relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 4

Appointment (Re-nomination) of Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(vi)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri B. Chandra Reddy has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further, he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

He is a Fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and having Master's degree in Commerce.

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri B. Chandra Reddy or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 5

Appointment (Re-nomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(vii)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Suresh Kumar Rungta has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further he has authored Several books.

He has regularly contributed to leading Hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

He has a Master's degree in Commerce (Finance).

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Suresh Kumar Rungta or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 6

Appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-2026 till FY 2029-2030.

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, the Secretarial Auditor shall be appointed on the recommendation of the Board with the approval of shareholders of the Bank. Accordingly, the Board has recommended the appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries, a peer reviewed firm as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of 5 years commencing from FY 2025-2026 till FY 2029-2030 at a fee of Rs.1,40,000/- per annum (plus applicable taxes), for the approval of shareholders.

M/s Srinidhi Sridharan & Associates (SSA), Company Secretaries is an integrated CS firm which was started in the year 2017 and is focused on corporate laws and compliances. The Firm has wide experience in handling Secretarial Audit, Corporate Governance Audit, ESOP Audit, Labour Audit etc. Firm holds Peer Review Certificate No. 6279/2024 issued on 27.11.2024 and is valid upto 30.11.2029.

M/s Srinidhi Sridharan & Associates confirmed that the firm has not incurred any disqualification and eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The services to be rendered by M/s Srinidhi Sridharan & Associates as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

None of the Directors and/ or Key Managerial Personnel of the Bank and/ or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 7

To raise equity capital upto Rs. 4000 crores (including share premium), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/ Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof.

a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM (part) dated 19th July 2024 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2026 to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.

d. The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 2nd May 2025 has approved for raising equity capital of Rs.4,000 crore (including premium) through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

e. Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

f. The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

g. The Bank in terms of Section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

h. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

i. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/ or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

j. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

k. In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

l. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

m. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time, if applicable, or any other guidelines/ regulations/consents as may be applicable or required.

n. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

o. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

p. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

q. The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

r. None of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 7 of the accompanying Notice.

AGENDA ITEM NO 8:

To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹10 each within the aggregate issue size of ₹ 4,000 crores (including share premium) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26.

The Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2025-26" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank.

ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth.

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part C of Schedule I of the SEBI(Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "IOB-ESPS 2025-26".

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2025-26" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding the overall limit approved by the board of the bank of ₹4,000 crores (including Share premium), at the time of offer.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

The number of new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) and shall be within the overall limit of ₹4,000 crores (including share premium), approved by the Board of the Bank, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside under the "IOB-ESPS 2025-26".

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2025-26"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2025-26"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Committee of Directors constituted for the purpose and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the post issue paid up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "IOB-ESPS 2025-26", no other benefits will be provided to eligible employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"IOB-ESPS 2025-26" will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "IOB-ESPS 2025-26", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2025-26" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021, if applicable for time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share-based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

R. LOCK IN PERIOD:

The equity shares issued under "IOB-ESPS 2025-26" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

S. TERMS & CONDITIONS FOR BUYBACK, IF ANY, OF SPECIFIED SECURITIES/OPTIONS COVERED GRANTED UNDER THE SCHEME:

Subject to the provisions of the then prevailing applicable laws, the Board shall determine the procedure for buy-back of shares issued under the Scheme if to be undertaken at any time by the Bank, and the applicable terms and conditions thereof."

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai
Date: 06th, June 2025

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO